



उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: सूडा भवन, 7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010

ई-मेल: Quality@upmsc.in वेबसाइट: www.upmsc.in सम्पर्क सूत्र: 0522.2838102

पत्रांक: यूपीएमएससीएल/क्यू0सी0/2020/5614

दिनांक: 18 जून, 2020

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद- श्रावस्ती, प्रयागराज, शामली, हाथरस, जौनपुर
एवं कानपुर देहात

2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका
(जिला महिला, पुरुष एवं संयुक्त चिकित्सालय)
जिला- जालौन, अलीगढ़, संत रविदास नगर, प्रयागराज, गोरखपुर
वाराणसी, सहारनपुर एवं ट्रान्सपोर्ट नगर वेयर हाउस लखनऊ।

विषय: मेसर्स सुपर फार्मुलेशन प्रा0 लि0 16 वी व 15वी, इन्डस्ट्रीयल एरिया, मैक्सी रोड, उज्जैन म0 प्र0-456010 द्वारा आपूर्ति औषधि Omeprazole : 20mg (cap) का Batch No. OMU27 की प्राप्ति, वितरण एवं उपयोग तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक बन्द करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


अवगत कराना है कि उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0 लखनऊ के क्रयादेश सं0 UP/UP/HQ/19/261/4(10281905650), दिनांक: 26.03.2019 एवं UP/UP/HQ/19/734/3(10281910998), दिनांक: 04.06.2019 के क्रम में मेसर्स सुपर फार्मुलेशन 16वी व 15वी, इन्डस्ट्रीयल एरिया, मैक्सी रोड, उज्जैन म0 प्र0-456010 द्वारा कैप्सुल Omeprazole : 20mg (cap) का Batch No. OMU27 [Mfg Date-05/2019, Exp. Date 04/2021] की आपूर्ति प्रदेश की चिकित्सा इकाइयों के औषधि भण्डारों में की गयी थी। तदोपरान्त उपरोक्त औषधि का नमूना औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हाथरस (उ0प्र0) द्वारा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानिकपुर, सादाबाद, जिला- हाथरस के औषधि भण्डार से संग्रहित किया गया था जिसे राजकीय विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 की जाँच रिपोर्ट (टेस्ट रिपोर्ट संख्या: R/313-20 ,दिनांक: 21.01.2020) द्वारा "The sample does not conform to IP in respect of uniformity of weight" के कारण "Not of Standard Quality" घोषित किया गया है (परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि निर्माता सुपर फार्मुलेशन 16वी व 15वी, इन्डस्ट्रीयल एरिया, मैक्सी रोड, उज्जैन म0 प्र0-456010 द्वारा निर्मित औषधि Omeprazole : 20mg (cap) का Batch No. OMU27 बैच की प्राप्ति, उपयोग तत्काल प्रभाव से बन्द करा दें। उपरोक्त औषधि बैच का वितरण तत्काल प्रभाव से रोक दें एवं अन्य स्वास्थ्य इकाइयों को वितरित उपरोक्त औषधि बैच की समस्त मात्रा की वापसी (रिकॉल) करके अपने औषधि भण्डार में वितरण की जाने वाली औषधियों से पृथक रखवा दें। औषधि वापसी (रिकॉल) के उपरान्त उपरोक्त औषधि बैच की कुल मात्रा डी0वी0डी0एम0एस पोर्टल पर भी अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। संबन्धित फर्म को उपरोक्त औषधि के बैच को वापस लेने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। फर्म द्वारा वापस मांगने पर उक्त औषधि बैच को फर्म के अधिकृत व्यक्ति को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें एवं वापसी के उपरान्त सूचना उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन के सप्लाइ चेन अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा शिथिलता की दशा में सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई स्वयं उत्तरदायी होगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,


प्रबन्धक

(गुणवत्ता नियंत्रक)



उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: सूडा भवन, 7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010

ई-मेल: Quality@upmsc.in वेबसाइट: www.upmsc.in सम्पर्क सूत्र: 0522.2838102

पृ0सं0:यूपीएमएससीएल/क्यू0सी0/2020/

तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उ0प्र0।
4. अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
5. परामर्शदाता (औषधि उपार्जन), उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
7. औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (सप्लाइ चेन), उ0प्र0मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
9. महाप्रबन्धक (औषधि उपार्जन) उ0प्र0मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
10. नोडल अधिकारी, डी0वी0डी0एम0एस0, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
11. प्रबन्धक (एम0आई0एस0) उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर डी0वी0डी0एम0एस , उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0।
13. श्री नाहर सिंह आई0टी0सेल एक्जिक्यूटिव को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पत्र को ई0मेल के माध्यम से सम्बन्धित सी0एम0ओ, सी0एम0एस (पुरुष, महिला एवं संयुक्त) चिकित्सालय को अविलम्ब प्रेषित कर सूचित करें।
14. सम्बन्धित प्रभारी वेयर हाउस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त बैच की औषधि का वितरण तत्काल प्रभाव से रोकते हुए, शेष बची हुयी औषधि को पृथक रखवाना सुनिश्चित करें एवं फर्म द्वारा मांगे जाने पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे एवं वापसी रिपोर्ट उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन के सप्लाइ चेन अनुभाग को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
15. मेसर्स सुपर फार्मूलेशन प्रा0 लि0 16 बी व 15बी, इन्डस्ट्रीयल एरिया, मैक्सी रोड, उज्जैन म0 प्र0-456010.

प्रबन्धक

(गुणवत्ता नियंत्रक)